

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

दिनांक 27.07.2024

बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) प्रवेश सम्बन्धी सूचना सत्र : 2024-25

बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग (शिक्षा भवन के प्रथम तल) में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होगी -

| क्र.सं. | दिनांक | समय | वर्ग | प्राप्तांक का विवरण |
|---------|------------|---------------------|--|---|
| 1 | 01.08.2024 | प्रातः 10:00 बजे से | अनारक्षित वर्ग (UR) | 1. समस्त अभ्यर्थी 20 अंक तक। 2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग और खेलकूद के समस्त अभ्यर्थी। 3. सामान्य श्रेणी में अर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के समस्त अभ्यर्थी। |
| 2 | 02.08.2024 | प्रातः 10:00 बजे से | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 1. समस्त अभ्यर्थी 17 अंक तक। 2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग और खेलकूद के समस्त अभ्यर्थी। |
| 3 | 03.08.2024 | प्रातः 10:00 बजे से | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) | 1. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी। 2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग और खेलकूद के समस्त अभ्यर्थी। |

बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) प्रवेश हेतु दिशा निर्देश एवं आवश्यक अभिलेख :-

1. प्रवेश फार्म महाविद्यालय के सम्बन्धित काउंटर से प्राप्त कर आवश्यक सूचना भरकर प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित हो।
2. हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
3. इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति न होने की दशा में इंटरनेट से प्राप्त प्रति को सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. चार रंगीन फोटो।
5. चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)।
6. प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क लाना अनिवार्य है।
7. प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र (स्कोर कार्ड) की छायाप्रति।
8. आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
- 9 Email-id. एवं Mobile No. अनिवार्य है।
10. प्रवेश मेरिट एवं काउंसिलिंग के आधार पर ही होगा, अभ्यर्थियों द्वारा नियत समय पर उपस्थित न होने की दशा में पुनः काउंसिलिंग का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
11. प्रमाण पत्रों के अभाव में आपके अभ्यर्थन (प्रवेश) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा।

संयोजक

प्रवेश समिति, वाणिज्य विभाग

प्राचार्य